मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

कमांक एफ–13/16/2014/तेरह/1373 भोपाल, दिनांक 5/3/14

प्रति,

प्रबंध संचालक
म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर/भोपाल/ इन्दौर

विषय : कृषकों को स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन प्रदाय करने हेतु लागू अनुदान योजना की अवधि बढ़ाने बावत्।

संदर्भ : विभाग का पत्र क 4079/13/2011 दिनांक 6.5.2011 कमांक 2613 दिनांक 26.3.2012 एवं कमांक 1817 दिनांक 5.3.2013

:–:

विषयान्तर्गत तारतम्य में कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। राज्य शासन द्वारा कृषकों को स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन प्रदाय करने हेतु लागू अनुदान योजना के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

1 कृषक अनुदान योजना निरन्तर रूप में आगामी 3 वर्षो अर्थात दिनांक 1 अप्रेल 2014 से 31 मार्च 2017 तक बढ़ाई जाती है ।
2. योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अन्य कृषकों से आगामी वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वर्तमान में लागू प्रति हार्सपावर की दर से राशि ली जावे। उसके पश्चात के दो वर्षो के लिए दरों का निर्धारण तत्समय पृथक से किया जावेगा।
3. उपभोक्ता को कनेक्शन प्रदाय किये जाने के उपरान्त यदि एक वर्ष की अवधि में उसके द्वारा भार वृद्धि हेतु आवेदन किया जाता है तो उस स्थिति में अतिरिक्त भार हेतु उपभोक्ता द्वारा योजनान्तर्गत अधोसंरचना के लिए भार वृद्धि के आवेदन की तिथि से लागू प्रति हार्सपावर राशि का अतिरिक्त भुगतान देय होगा ।
4. योजना की अवधि बढाने के सबंध में तीन वर्ष उपरांत पुनः समीक्षा की जायेगी।

अनुरोध है कि उपरोक्त योजना के संबंध में उक्त निर्णय अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

4/3/14
(एम.धारीवाल)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन ऊर्जा विभाग

कमांक एफ–13/16/2014/तेरह भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. प्रबंध संचालक, एम.पी. पावर मैनेजमेंट कपनी लिमि. जबलपुर को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग